



2026:AHC:31138

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2105/2026

राकेश कुमार

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: शिशिर

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री शिशिर कुमार शर्मा और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे 01.01.1987 को कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया गया था और उसके बाद, 18.05.2017 को उसे हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया गया; वह अब सब-इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति की मांग कर रहा है।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने तर्क किया है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का सर्वप्रथम निस्तारण द्वितीय प्रत्यर्थी—उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, 19-सी, विधान सभा मार्ग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)—द्वारा, अपने अध्यक्ष एवं सचिव के माध्यम से किया जाना आवश्यक है।
4. विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने तर्क किया है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, 19-सी, विधान सभा मार्ग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा—अपने अध्यक्ष एवं सचिव के माध्यम से—किया जाएगा।
5. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत निवेदन पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि रिट याचिकाकर्ता, रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ, एक विस्तृत अभ्यावेदन द्वितीय प्रत्यर्थी—उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, 19-सी, विधान सभा मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश—के समक्ष, उसके अध्यक्ष/सचिव के माध्यम से दिनांक **27.02.2026** तक प्रस्तुत करे। इसके बाद, द्वितीय प्रत्यर्थी पात्रता, उपयुक्तता और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिकाकर्ता के दावे पर तीन महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेगा।
6. आज दाखिल किए गए निर्देशों को अभिलेख पर ले लिया गया है और उन्हें परिशिष्ट 'क' के रूप में चिह्नित किया गया है।

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।)

12 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"